<u>वित्तीय स्वीकृति-2023-24</u>

<u>संख्या-2/2023/001-816/52-2-2023-02(03)/2018-</u>

प्रेषक,

गुलाब सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 अप्रैल, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये **वसीका कार्यालय, लखनऊ** के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनादि एवं अन्य व्ययों के भुगतान, **विशेष ऋणों पर ब्याज** तथा **पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ** मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय अपने पत्र संख्या-25/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2023-24 दिनांक 03-04-2023, 28/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2023-24 दिनांक 03-04-2023 एवं 27/अ0सं0क0नि0-13/लेखा/बजट-प्रा0/2023-24 दिनांक 03-04-2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत सन्दर्भो की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन पत्रांक-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार **वसीका कार्यालय, लखनऊ** के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनादि एवं अन्य व्ययों के भुगतान, **विशेष ऋणों पर ब्याज** तथा **पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ** मद में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निम्नवत् तालिका के अनुसार प्राविधानित धनराशि को अधोलिखित प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क. 2049- ब्याज अदायगियाँ-

03-अल्प बचतों भविष्य निधियों पर ब्याज-

107-न्यासों तथा धर्मादाओं पर ब्याज-

03-विशेष ऋणों पर पर ब्याज

(धनराशि रू0 लाख में)

मानक मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	निर्गत हेतु प्रस्तावित धनराशि
32-ब्याज/लाभांश	1.80	1.80

ख. 2075-विविध सामान्य सेवायें

800-अन्य व्यय-

03-वसीका कार्यालय, अधिष्ठान

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र०	मानक मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि	निर्गत हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
1	01 -वेतन	35.50	35.50
2	02-मजदूरी	0.10	0.10
3	03-मंहगाई भत्ता	15.98	15.98
4	04-यात्रा व्यय	0.05	0.05
5	06-अन्य भत्ते	1.00	1.00
6	07-मानदेय	0.05	0.05
7	08-कार्यालय व्यय	0.30	0.30
8	09-विद्युत देय	0.20	0.20
9	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.15	0.15
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.50
11	13-टेलीफोन पर व्यय	0.10	0.10
12	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.30	0.30
13	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व	0.02	0.02
14	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.05
15	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.10
16	46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00	1.00
17	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का	0.40	0.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	क्रय		
18	49-चिकित्सा व्यय	2.00	2.00
19	51-वर्दी व्यय	0.10	0.10
20	55-मकान किराया भत्ता	3.50	3.50
	योग	**61.40**	**61.40**

ग. **2075- विविध सामान्य सेवायें –**

800- अन्य व्यय -

04- अवध वसीका पेंशन

(धनराशि रू0 लाख में)

मद	**प्राविधानित धनराशि**	निर्गत हेतु प्रस्तावित धनराशि
33-पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	1.00	1.00

कुल धनराशि रू० 64,20,000/- (रू० चौसठ लाख बीस हजार मात्र)

3- उपरोक्त लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष होने वाला व्यय की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियन्त्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में कतिपय दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

I. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार सक्षम सरकार अथवा अन्यकेन्द्र/ कृति कीअधिकारी की स्वी आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

II. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत :02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

III. वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।

IV. किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय विभाग द्वारा जारी वित्त समय पर- यिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।किये गये मितव्य

V. कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

VI. उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समयसमय पर- वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

VII. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करनेधनराशि को/ विभागाध्यक्षनियंत्रक अधिकारी के / मेंन्धनिवर्तन पर रखे जाने के सम्ब स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी प्रकार (मात्रएलाटमेन्ट) के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है।

VIII. निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप प्रपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक क माह कीमदवार प्रत्ये/20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

4- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के प्रस्तर-1 2 उल्लिखित लेखा शीर्षकों के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-816(1)/52-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
5- वसीका कार्यालय,लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।